

**प्रपत्र-छियालीस**  
**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश**

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-3 को देखें)  
हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पर कर निर्धारक प्राधिकारी की आख्या

सेवा में,

कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1-	व्यापारी का नाम व पता	-												
2-	करदाता पहचान संख्या (टिन)													
	कर कटौती संख्या (टी0डी0एन0)													
	सेवा प्रदायी संख्या (एस0पी0एन0)													
3-	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)													
	विवरण	पता												
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता													
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि													
	i													
	ii													
	iii													
	iv													
ग-	निर्माण स्थल													
4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)													
	स्वामित्व	<input type="checkbox"/>	साझेदारी	<input type="checkbox"/>	हिन्दू अविभाजित परिवार	<input type="checkbox"/>	कम्पनी	<input type="checkbox"/>	सोसाइटी	<input type="checkbox"/>				
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपक्रम	<input type="checkbox"/>	क्लब	<input type="checkbox"/>	एसोसियेशन	<input type="checkbox"/>	अन्य कोई							
5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता													
	नाम व पता					प्रास्थिति	कहाँ से		कहाँ तक					
	i													
	ii													
	iii													
	iv													
	v													
6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी													
क्र० सं०	शाखा का नाम व पता					खाते का प्रकार	खाता संख्या							
	i													
	ii													
	iii													
	iv													

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण					
क्र० सं०	विवरण	औद्योगिक इकाई द्वारा घोषित		कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित		यदि कोई भिन्नता हो तो (अलग शीट पर स्पष्ट करें)
i	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि					
ii	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से	तक	से	तक	
iii	स्थायी पूँजी निवेश					
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी हेतु अनुमन्य स्थाई पूँजी निवेश					
v	छूट की धनराशि					
vi	छूट की अवधि					
vii	01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की धनराशि					
viii	01.01.08 को अवशेष छूट की धनराशि					
ix	01.01.08 को अवशेष छूट की अवधि					
x	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जाँच की तिथि(यदि कोई हो)					
xi	तलाशी/सर्वेक्षण की तिथि(यदि कोई हो)					
xii	लेखापुस्तकों के अभिग्रहण की तिथि(यदि कोई हो)					
xiii	माल के अभिग्रहण की तिथि(यदि कोई हो)					
xiv	तलाशी/सर्वेक्षण का परिणाम					
xv	लेखा पुस्तकों के अभिग्रहण का परिणाम					
xvi	माल के अभिग्रहण का परिणाम					
xvii	क्या किसी रूप में छूट का दुरुपयोग किया गया है(अलग शीट में विवरण दे)					
xviii	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही					
xix	करमुक्ति अथवा कर की दर में छूट के संबंध में अनुमन्य कमी संशोधित की गयी हो					
xx	यदि XIX का उत्तर हाँ हो तो अपील/रिवीजन/रिट के परिणाम का पूर्ण विवरण (आख्या भेजने के पूर्व)					
xxi	करमुक्ति/कर की दर में छूट/ छूट की अवधि/स्थायी पूँजी निवेश के संबंध में कोई विवाद सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष पेन्डिंग हो					
xxii	यदि कॉलम-XXI का उत्तर हाँ हो तो अलग शीट पर पूर्ण विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें					
xxiii	जहाँ पर छूट अथवा कर की दर में कमी पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित न हो					
xxiv	यदि XXIV का उत्तर हाँ हो अलग शीट पर नोटिफिकेशन /निवेश की अवधि/छूट की अवधि/छूट की धनराशि तथा विवरण आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करें					
xxv	क्या व्यवहारी हकदारी प्रमाण पत्र के लिए पात्र है					
xxvi	यदि XXV का उत्तर नहीं है तो अलग शीट पर विस्तृत विवरण आवश्यक कागजात के साथ दे					
xxvii	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि					
xxviii	पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित छूट की अवधि					

XXIX	हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित की जाने वाली उत्पादित वस्तुयें			
XXX	हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित की जाने वाली खरीदी गयी वस्तुयें			
(क)	कच्चा माल			
(ख)	प्रसंस्कृत माल			
(ग)	कन्ज्यूमेबल स्टोर			
(घ)	पेट्रोल एवं डीजल के अतिरिक्त ईंधन			
(च)	पैकिंग में प्रयुक्त माल			
(छ)	स्नेहक			

नोट:- 1-यदि उपरोक्त में प्रदत्त जगह अपर्याप्त हो तो अलग शीट पर उक्त प्रारूप में विवरण संलग्न करें

2- यदि रिपोर्ट केवल हकदारी प्रमाण पत्र के संशोधन से संबंधित है तो संबंधित कम अथवा कालम में संशोधित विवरण लिखी जाएगी।

3- यदि निरसित अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप छूट अवधि के प्रारम्भ के पश्चात स्थिर पूँजी निवेश किया गया है, संबंधित कालम में केवल निवेश की धनराशि अंकित की जाए।

कर निर्धारक प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम एवं मोहर